निवेशक जोखिम न्यूनीकरण अभिगम मंच

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

हाल ही में [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)] ने **ट्रेडिंग सदस्य या स्टॉक ब्रोकर** द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में निवेशकों के लिये **'सुरक्षा संजाल'** प्रदान करने हेतु **इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस (IRRA)** लॉन्च किया है।

- **ट्रेडिंग सदस्य या स्टॉक ब्रोकर** एक व्यक्ति या फर्म है जो वित्तीय बाज़ारों में निवेशकों की ओर से **प्रतिभूतियों** (स्टॉक, बॉण्ड, कमोडिटी आदि) **को खरीदने और बेचने के लिये अधिकृत व लाइसेंस प्राप्त** है। वे क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, शेयर बाज़ार या अन्य वित्तीय एक्सचेंजों के भीतर लेन-देन की सुविधा प्रदान करते हैं।

IRRA प्लेटफार्म

- **परिचय:**
  - IRRA प्लेटफॉर्म उन जोखिमों को कम करने के लिये बनाया गया है जो निवेशकों को उस स्थिति में अनुभव होते हैं जब **प्राथमिक साइट और आपदा रिकवरी साइट** पर **तकनीकी गड़बड़ियाँ** होती हैं जो **ट्रेडिंग सदस्यों को प्रभावित करती** थीं।
  - इसका उद्देश्य निवेशकों को तकनीकी खराबी अथवा अप्रत्याशित आउटेज के कारण ट्रेडिंग सदस्य की वेबसाइट अनुपलब्ध होने की स्थिति में IRRA प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने **ओपन पोज़िशन को स्क्वायर ऑफ/क्लोज़ करने तथा पेंडिंग ऑर्डर को रद्द करने का अवसर** प्रदान करना है।
  - इसका उद्देश्य केवल उन ऑर्डर को रद्द करना है जो अभी भी बकाया हैं, **न कि नए ऑर्डर अथवा पोज़िशन को स्वीकार करना।**
- **विकास:**
  - IRRA को सभी स्टॉक एक्सचेंजों- [बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)], [नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)], **नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) तथा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MSE)** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- **कार्यान्वयन:**
  - IRRA को व्यापारिक सदस्यों द्वारा तब लागू किया जा सकता है जब उन्हें किसी **तकनीकी गड़बड़ी का सामना** करना पड़ता है, जिससे प्राथमिक साइट तथा डिज़ास्टर रिकवरी साइट, जहाँ प्रासंगिक हो, दोनों एक्सचेंजों से ग्राहकों को सेवा देने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
  - यहाँ तक कि **स्टॉक एक्सचेंज** भी **कनेक्टिविटी**, ऑर्डर फ्लो तथा सोशल मीडिया पोस्ट **जैसे मापदंडों की निगरानी** कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो ट्रेडिंग सदस्य द्वारा ऐसे किसी भी अनुरोध के बिना, IRRA सेवा को सक्षम करने की पहल कर सकते हैं।
  - यह सेवा एक्सचेंजों के स्वत: संज्ञान से सक्षम की जाएगी, केवल उन सभी एक्सचेंजों में ट्रेडिंग सदस्यों की ट्रेडिंग सेवाओं में व्यवधान की स्थिति में, जहाँ वे ट्रेडिंग सदस्य हैं।
- **आवश्यकता:**
  - जब तकनीकी समस्याओं के कारण **व्यापारिक सेवाएँ बाधित होती हैं,** तो निवेशकों को स्थिति तय न कर पाने का जोखिम उठाना पड़ता है, जो **अस्थिर बाज़ारों में विशेष रूप से खतरनाक है।**
  - व्यवसाय निरंतरता योजनाओं के बावजूद **विलंबित पुनर्प्राप्ति साइटों या** [साइबर हमलों] जैसे कुछ व्यवधान **बने रहते हैं।**
  - यह पहल ऐसे संकटों के दौरान **स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा आकस्मिक सेवाएँ** सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाज़ार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? (2019)

(a) जमा प्रमाण-पत्र
(b) वाणिज्यिक पत्र
(c) वचन-पत्र (प्रॉमिसरी नोट)
(d) सहभागिता पत्र (पार्टिसिपेटरी नोट)

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/investor-risk-reduction-access-platform